



19-1-22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
 वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे इस मंच पर कार्य
 प्रार्थना पत्र में कौन कार्य करती नहीं करवाती नहीं चाहते।
 चाहते हैं। प्रार्थना पत्र को नोटप्रेस में Note Press
 रजिस्ट्रार करवाना चाहते हैं। ऐसे में प्राणक 
 साहनी हो चुका है। साहनी होने से
 प्रार्थना पत्र नोटप्रेस में रजिस्ट्रार किया जाता
 है। अतः पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर
 से सत हो एवं बाद वकील जफ़ा दाखिल
 दफ़तर हो।


 (एल.एस.सी.)
 जिला कलेक्टर मुंबई

21-1-22
 14-1-22

महोदय, मुंबई जिला कलेक्टर मुंबई
 मुंबई जिला कलेक्टर मुंबई
 मुंबई जिला कलेक्टर मुंबई
 मुंबई जिला कलेक्टर मुंबई

1. मैर
2. श्री
3.
4.
5.

प्रार्थ

महोदय,